



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप वर्ष-2024 में थाना बिसंडा क्षेत्र में ससुर की गैर-इरादतन हत्या करने वाले आरोपी दामाद को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये जुर्माने की सजा ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष- 2024 में थाना बिसंडा क्षेत्र में ससुर की गैर-इरादतन हत्या करने वाले अभियुक्त दामाद को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 30.12.2024 को थाना बिसंडा क्षेत्र के बरौली आजम की रहने वाली सुनीता द्वारा सूचना दी गई कि उसके दामाद द्वारा दिनांक 29.12.2024 को उनके पति सिधुवा के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था । जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । इस सम्बन्ध में थाना बिसंडा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना 30नि0 श्री मणिशंकर मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी थी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए सुसंगत धाराओं में आरोप पत्र दिनांक 27.03.2025 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । विशेष लोक अभियोजक श्री विजय बहादुर सिंह परिहार व श्री उमाशंकर पाल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्नरि मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र कुमार व महिला आरक्षी मालती कुमारी पैरोकार आरक्षी सतीश के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा धारा 105/115(2)/351(2) बीएनएस में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

अभियुक्त-

1. शैलेन्द्र पुत्र मुन्नीलाल निवासी अधरौली थाना बिसंडा जनपद बांदा ।